भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2403
उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के अंतर्गत प्रवेश

2403. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना सरकार को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई), 2009 के अंतर्गत प्रवेश के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने को कहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सिफारिशें किस तिथि को की गईं थीं;
(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने हेतु आरटीई के कार्यकरण की समीक्षा की है कि सरकार से राज्यों द्वारा राशि का केवल कुछ ही भाग क्यों मांगा गया, जिसकी वस्तुतः प्रतिपूर्ति की गई थी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने दिनांक 25.05.2016 के पत्र संख्या 12-5/2016-ईई.11 द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण देश में निजी गैस सहायता प्राप्त स्कूलों का वास्तविक मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की विभिन्न बैठकों जैसे राज्य शिक्षा सचिव सम्मेलन, परियोजना अनुमोदन बोर्ड बैठक, क्षेत्रीय कार्यशाला में तेलंगाना समेत सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के साथ समीक्षा करता है और इस पर बल दिया जाता है।

आरटीई अधिनियम की धारा 12(2) के तहत निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को व्यय के भुगतान का भी प्रावधान है जैसाकि धारा 12 की उप-धारा(1) के खंड (ग) में उल्लिखित है। स्कूलों को राज्य द्वारा किए गए प्रति बालक व्यय या बच्चों से प्रभारित वास्तविक राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति इस प्रकार से की जाएगी जैसाकि निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा पूर्व की सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को समेकित कर 2018-19 से स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की है। यह योजना आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के तहत प्रावधानों के अनुसार राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक दाखिल छात्रों पर आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के तहत हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

*****